तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3838/2005/जालोर** **पाबू बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट । श्री शंकर लाल चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0। श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पो0। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली दिनांक 30.04.2005 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), सांचोर के समक्ष विवादित आराजी ख0न0 376, 377, 378 रकबा क्रमशः 0.01 है0, 0.06 है0, 0.01 है0 कुल 2.2 है0 जिसका साबिक आराजी खसरा नं0 1459 कुल रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा था, के संबंध में एक वाद बाबत इस्तरारहक का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों की सनुवाई के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2004 वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2004 से ग्रसित होकर अपीलांट/वादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3838/2005/जालोर** **पाबू बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट/वादी का विवादित आराजी पर संवत 2012 के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेट्लमेंट के समय सभी वादी/अपीलांट को विवादित आराजीयात बाबत खातेदार दर्ज नहीं किया जाकर मात्र अपीलांट्स के भाई पेलाद, जिसका देहांत 25–30 वर्ष पहले हो चुका है, को कुछ सालों तक गैरबापीदार दर्ज रखा गया फिर विवादित आराजी सरकार के खाते में दर्ज कर दी गयी। विवादित आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा प्रथम सेट्लमेंट के समय से ही चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2014 से वर्तमान तक इसकी पुष्टि की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/अपीलांट को विवादित आराजी से कभी बेदखल नही किया गया और कोई बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी हो इस सबंध में कोई फर्द विचारण न्यायालय के समक्ष पेश क गयी हो। जिस प्रकार तनकी संख्या 1 कायम की गई उस प्रकार निर्णय नहीं किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण की पक्की ढाणी व कुआं बना हुआ है जिससे धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखल किया जाना मानकर वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/अपीलांट का पिछले 30 वर्षो से लगातार कब्जा होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उसे खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालायों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी/अपीलांट ने समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वाद को साबित नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आने के समय से विवादित आराजी पर वादी/अपीलांट पर वादीगण/अपीलांट्स का बतौर टीनेन्ट कब्जा काश्त साबित नहीं होने से उन्हें बार्ड ऑपरेशन आफॅ लॉ खातेदारी अधिकार अर्जित होना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3838/2005/जालोर** **पाबू बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं माना जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण बाबत समय–समय पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर जुर्माना आरोपित करते हुये बेदखली के आदेश पारित किये जाते रहे है। अपीलाट/वादी का लगातार 30 वर्षो से कब्जा होना भी सिद्व नहीं होता है इसलिए एडवर्स पजेशन के सिद्वान्त का भी अपीलांट/वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहस के अंत में विद्वान ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि –

‘‘ वादी/अपीलांट की ओर से अपने वाद को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य खसरा परिवर्तनशीन की नरकले है, जो सवंत 2014 एवं उसके बाद की है। हाल खसरा नं0 376, 377, व 378 से संबंधित है जिनमें विवादित आराजियात अलावा जोत काबिल काश्त दर्ज है। इस प्रकार उक्त साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजियात पर वादीगण/अपीलांट्स का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अर्थात संवत 2012 से आदिनांक तक बहैसियत टीनेन्ट साबित नहीं होता है। वादीगण/अपीलांट्स की ओर से दूसरा आधारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित होना प्रकट किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। जिसके संबंध में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों के अर्जन हेतु तीन साल से अधिक समय का निर्विरोध एवं सकरात्मक कब्जा होना अनिवार्य है। परन्तु वादी/अपीलांट के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3838/2005/जालोर** **पाबू बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की जाकर जुर्माना आरोपित करते हुये बेदखली के आदेश पारित किये जाते रहे है जिसे अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है। अपीलांटस/वादीगण का कब्जा भी लगातार 30 वर्षो से निर्बाध एवं निर्विरोध होना साबित नहीं पाया जाता है। इसलिए अपीलांटस/वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा के पात्र नहीं है।''

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी पक्ष ने विवादित भूमियों के संबंध में संवत 2012 के पश्चात के वर्षो की खसरा परिवर्तनशील की नकलें अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत की है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमियों के संबंध में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के वर्ष अर्थात संवत 2012 की जमाबंदी व गिरदावरी से अपने खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति को प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होता है। परन्तु अपीलांट/ वादी द्वारा संवत 2012 का उक्त संबंधित राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही उक्त संदर्भित वर्ष में अपने खातेदारी व कब्जा काश्त को प्रमाणित कराया गया है। इनके अभाव में उक्त आधार पर अपीलांट/वादी पक्ष को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।

अपीलांट/वादी ने यह भूमियां उन्हें किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी विधिक आदेश से आवंटित की हो, यह भी सिद्ध व प्रमाणित नहीं करवाया है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमियां संवत 2012 या उसके पूर्व से ही उनके पुश्तैनी अधिकार में रही हो, यह भी सिद्ध व प्रमाणित नहीं करवाया गया है। प्रतिकूल कब्जा काश्त प्रमाणित करवाने हेतु राजकीय भूमियों पर निरंतर 30 वर्षो तक निर्विवाद कब्जा कशत होना भी प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि समय- समय पर उनके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी गयी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3838/2005/जालोर** **पाबू बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 29.03.04 व 30.04.2005 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष